

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मांगीलाल

किस्म मुकदमा – हकरसी

विपक्षी : श्री चेना

पत्रावली संख्या : 10/18

जीसीएमएस : 2018/00117

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 19.11.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रारम्भिक डिक्री की पालना एवं अन्तिम डिक्री में खातेदार का नाम अंकित नहीं होने से उक्त डिक्री की पालना किया जाना सम्भव नहीं होना बताया। अधिवक्ता वादी मय स्वयं वादी द्वारा पीडी पालना रिपोर्ट पर सहमति जाहिर करने से न्यायालय द्वारा पालना रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री जारी कर दी गई। न्यायालय का अभिमत है कि पालना रिपोर्ट में त्रुटि होने से अन्तिम डिक्री में भी त्रुटि हुई। अतः जब तक अन्तिम डिक्री में सुधार नहीं हो जाता तब तक पालना किया जाना सम्भव नहीं है। ऐसे में इस हकरसी के प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। मूल वाद के साथ संलग्न रहे।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

